उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 25.03.2013 को सम्पन्न हुयी 15वीं बैठक का कार्यवृत

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 15वीं बैठक दिनांक 25.03.2013 को वन विभाग के मन्थन सभागार में अध्यक्ष उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1. श्री एस0 रामास्वामी, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एम सुन्दरम, उपाध्यक्ष, एम.डी.डी.ए, देहरादून।
3. श्री मोनिष मलिक, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग।
4. श्री जी.एस. रावत, सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
5. श्री योगेन्दर सिंह, मुख्य अभियन्ता पेयजल निगम, देहरादून।
6. डा0 गुरपाल सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसो, आंफ उत्तराखण्ड।
8. डा0 हर्ष वर्धन मिश्रा, उप नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
9. श्री विनोद सिंघल, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत किया गया तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचारविमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

क्र0स0	एजेण्डा बिन्दु	निर्णय
1.	बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना और बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना	बोर्ड की 14वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड के आगामी वर्षो की बैलंशसीट एवं आडिट रिपोर्ट हेतु नये आडिटर की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा व्यवस्था दी गई कि किसी एक आडिटर से 03 वर्षो से अधिक का आडिट नहीं कराया जाये।
2.	बोर्ड के वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2013-2014 का प्रस्तावित बजट का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित बजट का अनुमोदन भी किया	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 का प्रस्तावित बजट का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित बजट का अनुमोदन भी किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि

	गया।	बोर्ड के फण्ड का सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही एफ.डी.आर. में विनिवेश किया जाये तथा निर्णय लिया गया कि प्राइवेट सैक्टर के बैंकों में जो एफ.डी.आर. बनाई गई है उन्हें तोडनें की स्थिति में होने वाले ब्याज नुकसान की गणना कर सम्बन्धित अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाये।
3.	''प्रथम श्रेणी अधिकारियों '' एवं ''क्षेत्रीय अधिकारियों'' के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाया जाना	बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी अधिकारियों/क्षेत्रीय अधिकारियों तथा सदस्य सचिव के वित्तीय अधिकारों का बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा उल्लेखनीय प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया एवं परीक्षण के निर्देश दिये गये।
4.	बिना''एन.ओ.सी'' के चल रहें उद्योगों के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किया जाना	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सुझाव दिया गया कि प्रस्ताव का विधिक परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किया जाये।
5.	''जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2000'' के अन्तर्गत लिये जाने वाले शुल्क की दरों में वृद्धि किया जाना	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव के अनुसार शुल्क का निर्धारण करने हेतु अनुमोदन किया गया, अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्टों के परिवहन करने वाले एजेन्सीयों को जी.पी.एस. सिस्टम की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा पैथालोजी एवं रक्त संग्रह केन्द्रों को भी इसमें आच्छादित किया जाये।
6.	बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उच्चीकरण किया जाना।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के वेतनमान एवं ग्रेड पे का शासनादेश अनुसार उच्चीकरण किये जाने हेतु

		अनुमोदन किया गया।
7.	बोर्ड में नये वाहनों का क्रय किया जाना	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा आदेश के अनुसार वाहनों का क्रय/ आउटर्सोस के माध्यम से लिये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया।
8.	बोर्ड के वर्ष 2009-10 व 2010-11के लेखे के "इन्टरनल आडिट से सम्बन्धित रिपोर्ट से बोर्ड को अवगत कराया जाना।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 के लेखों के इन्टरनल आडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा बोर्ड द्वारा बैलेशरसीट का अनुमोदन विशेष आडिट के प्रतिबन्ध के साथ किया गया। बोर्ड द्वारा गत वर्षो का विशेष आडिट कराया जाने का निर्णय लिया गया।
9.	बोर्ड के मुख्यालय के नये भवन व केन्द्रीय प्रयोगशाला के निमार्ण के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना।	विकासनगर मौजा ईस्ट होपटाउन में आंवटित भूमि के स्थान पर बोर्ड मुख्यालय एवं प्रयोगशाला हेतु सिडकुल आई.टी. पार्क में भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
10.	भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ई-वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही	भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ई-वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 (E-Waste Management & Handling. Rules) 2011 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण निर्गत करने हेतु सदस्य सचिव को शक्तियां एवं प्राधिकार प्राप्त

		करने हेतु शुल्क का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा अनुमोदन किया गया।
11.	**बोर्ड आउटसोंसिग के माध्यम से मानव शक्ति लिये जाने हेतु अधिकार दिया जाना।**	बोर्ड में नियोक्ता अधिकारी के आधार पर आउटसोंसिग के माध्यम से मानव शक्ति लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करते हुये बोर्ड की अगली बैठक में लाने का निर्देश दिया गया।
12.	**जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-32 (emergency measures in case of pollution of stream or well) के अन्तर्गत अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।**	जल अधिनियम के उपरोक्त आधार के अनुसार नदी नालों एवं कुओं आदि में प्रदूषण निवारण हेतु आपातकालीन उपाय हेतु उद्योगों को नोटिस दिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव को प्रयोग के रूप में 06 माह हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी।
13.	**क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।**	बोर्ड के 04 क्षेत्रीय कार्यालयों क्रमश रुड़की, काशीपुर, में प्रयोगशाला की स्थापना तथा देहरादून एवं हल्द्वानी में स्थित प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
14.	**क्षेत्रीय कार्यालय रुडकी हेतु सिडकुल औद्योगिक हरिद्वार क्षेत्र में भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।**	सिडकुल हरिद्वार में क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला के निमार्ण हेतु सिडकुल से भूमि क्रय करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष

		प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
15.	**बोर्ड कार्मिकों का सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P) की व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**	उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2225/VII-1/60-उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के अनुसार बोर्ड के कार्मिकों एवं अधिकारियों सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (A.C.P) का लाभ देने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये की बोर्ड द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच करायी जाये।
16.	**बोर्ड अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को लैप टाप उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**	बोर्ड अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को लैप टाप उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
17.	**बोर्ड के माध्यम से पर्यावरणीय जनजागरूकता, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।**	वित्तीय वर्ष 2013-14 विभिन्न प्रकरण के पर्यावरणीय जनजागरूकता, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औधोगिक एसोसियेशन, एम.डी.डी.ए. एवं एल.जी.... एवं नगर निगम आपस में सामन्जस स्थापित कर पर्यावरेणीय जनजागरूकता हेतु मोडियूल तैयार कर कार्यवाही करेंगें इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा चार धाम यात्रा

		मार्ग, नन्दा देवी राजजात एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा रूटों पर पर्यावरणीय जनजागरूकता हेतु बोर्ड द्वारा कार्य किये जाने का निर्देश दिया गया।
18.	**बोर्ड में कार्यरत संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संविदा कार्मिकों को छठे वेतन आयोग के अनुसार उनके पद के सापेक्ष मूल वेतन, ग्रेड पे एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार पारिश्रमिक दिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बोर्ड में कार्यरत संविदा कार्मिकों को उनके पद के सापेक्ष बेसिक वेतन, ग्रेड पे तथा समय-समय पर देय डी0ए0 अनुमोदित किया जाए।

(विनोद सिंघल) .6/13
सदस्य सचिव

(एस0 रामास्वामी)
अध्यक्ष